प्रेषक,

आनन्द कुमार राय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 18 दिसम्बर, 2021**

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-119-04-0418-उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-111/बजट/2021-22 दिनांक 26.11.2021 के सन्दर्भ में एवं शासन के पुर्नविनियोग संख्या-आर0ई0-178/ई-1/दस-2021, दिनांक-13.12.2021 पृष्ठांकन संख्या-1039/58-2-2021-300(11)/2021 दिनांक-15.12.2021 की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत **लेखाशीर्षक-2401 फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें 04-.फल-0418 उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 की योजना के मानक मद 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान मद में अवमुक्त धनराशि रू0-5.00 लाख के सापेक्ष पुनर्विनियोग के माध्यम से योजनान्तर्गत 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु धनराशि रू0-4.41 लाख (रूपया चार लाख इक्तालिस हजार मात्र)** को पुर्नविनियोग के माध्यम से निम्नलिखित मदवार विवरण/शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रूपये में)

अनुदान सं0	लेखाशीर्षक/मद का नाम	कोड सं0/ मद का नाम जिसमें बचत हो रही है	बचत की धनराशि	कोड सं0/मद का नाम जिसमें पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि अपेक्षित है	पुनर्विनियोग के माध्यम अवमुक्त की जा रही धनराशि
10	लेखाशीर्षक-2401 फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें 04-.फल-0418 उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं	5.00	58-आउट सोर्सिंग सेवाओं	4.41
	योग-				**4.41**

(रूपया चार लाख इक्तालिस हजार मात्र)

1- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा। विचलन की स्थिति में इसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/मुख्य वित्त नियंत्रक/आहरण वितरण अधिकारी एवं सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

.....2/-

http://shasanadesh.up.gov.in

2- अवमुक्त की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद में किसी भी दशा में व्यय नहीं किया जायेगा। अन्य मद में किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। इसके लिए संबंधित अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

3- उक्त धनराशि के व्यय करने के पूर्व जहां आवश्यक होगा सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

4- व्यय की गयी धनराशि का औचित्य/विवरण उपलब्ध कराया जायेगा। यदि उक्त मद में कोई धनराशि बचती है तो उसे शासन को यथासमय समर्पित किया जायेगा।

5- उक्त धनराशि को पुर्नविनियोग के निर्धारित प्रपत्र सं0 बी0एम0-9 पर संलग्नक के अनुसार वित्त विभाग की सहमति से व्यवस्थित की गयी है।

6- उक्त धनराशि का व्यय उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों के प्राविधानों के अनुसार नियंत्रक अधिकारी के नियंत्रण में किया जायेगा।

7- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021- 231/2021, दिनांक 22.3.2021 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

संलग्नक-यथोक्त

(आनन्द कुमार राय)
उप सचिव।

संख्या-163/2021/1073(1)/58-2-2020, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 को तीन प्रतियों में।
5- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1
6- वित्त नियन्त्रक/आहरण वितरण अधिकारी निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार राय)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in